

प्रेषक

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उ०प्र० लखनऊ।

6863
16/10/2020

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2019

विषय:- महिला अंशकालिक अनुदेशकों/शिक्षामित्रों/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षिकाओं के 06 माह के मानदेय सहित मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-अंश०अनु०/मातृत्व अवकाश/4629/2019-20, दिनांक 17.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा महिला अंशकालिक अनुदेशकों/ शिक्षामित्रों/ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षिकाओं को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मानदेय सहित प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला अंशकालिक अनुदेशकों/शिक्षामित्रों/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षिकाओं के 06 माह (180 दिन) के मानदेय सहित मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

APD/UC Quality/Estt.

D.G. SE/CPD
14/10/2020

U.I. Quality

Estt.

Y

APD
15/10/2020

भबूदीया,

16/30/12/19

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज।
- 6- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज।
- 7- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उ०प्र०।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।